

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

28 अगस्त, 2015 (ई०)

शुक्रवार, तिथि-

[तृतीय-सत्र]

06 भाद्रपद, 1937 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री बादल, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-24.08.15, 25.08.15, 26.08.15 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (05)- श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015, 26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (06)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015, 26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (07)- सर्वश्री दीपक बिरुवा, डॉ० अनिल मुरमू एवं श्री दशरथ गागराई, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015, 26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)

कृ०पृ०उ०.../

- (08)- सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, साधु चरण महतो एवं श्री लक्ष्मण ढुङ्ग, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015, 26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (09)- श्री स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (10)- श्री मनीष जयसवाल, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (11)- श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (12)- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (13)- श्री हरिकृष्ण सिंह एवं श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 एवं 27.08.2015 से स्थगित)
- (14)- श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27.08.2015 से स्थगित)
- (15)- सर्वश्री नवीन जयसवाल, राधाकृष्ण किशोर एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27.08.2015 से स्थगित)
- (16)- श्री शिव शंकर उराँव एवं श्री ताला मराण्डी, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27.08.2015 से स्थगित)
- (17)- श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27.08.2015 से स्थगित)

- (18)- श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-27.08.2015 से स्थगित)

- (19)- सर्वश्री योगेन्द्र प्रसाद, स्टीफन मराण्डी एवं श्री राजकुमार यादव, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (20)- श्री रवीन्द्र नाथ महतो एवं श्री दीपक बिरुवा, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (21)- श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (22)- सर्वश्री साधु चरण महतो, रामचन्द्र सहिस एवं श्री लक्ष्मण टुडू, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (23)- डा० जीतू चरण राम, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (24)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (25)- योजना सह वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा द्वारा "झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) नियमावली, 2015" की एक प्रति सभा मेज पर रखा जाना।
- (26)- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2002 की धारा-14 के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 अवधि 01.04.2014 से 31.03.2015 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखा जाना।

-: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (27)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (28)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

राजकीय संकल्प

(29)- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी प्रस्ताव करेंगे कि “जबकि केन्द्र सरकार द्वारा मानव अंगों के प्रत्यारोपन के लिए निर्मित केन्द्रीय अधिनियम “The Transplantation of Human Organs Act, 1994” विधान सभा की सहमति से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना सं०-374(10), दिनांक-22.09.06 द्वारा पूरे झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त है और चूँकि भारत सरकार ने उपरोक्त अधिनियम को “The Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011” के माध्यम से संशोधित किया है।

और चूँकि संशोधित अधिनियम की धारा-1(3) में यह प्रावधान है कि संविधान के अनुच्छेद-252 के अन्तर्गत उक्त संशोधनों को संकल्प के माध्यम से अंगीकृत कर कोई भी राज्य इसके उपबंधों को अपने राज्य के लिए लागू कर सकता है।

और चूँकि मानव अंगों के प्रत्यारोपन से संबंधित मूल केन्द्रीय अधिनियम “The Transplantation of Human Organs Act, 1994” राज्य में प्रवृत्त है। अतः इस अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा “The Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011” के माध्यम से किए गए संशोधनों को भी इस राज्य में लागू करने की अनिवार्यता हो गयी है।

अतएव प्रस्ताव है कि “The Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011” को भारत के संविधान की अनुच्छेद-252 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण में झारखण्ड राज्य में अंगीकृत करने हेतु झारखण्ड विधान सभा की सहमति हो।

-: विधायी-कार्य :-झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

- (30)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (31)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (32)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015” पर विचार हो।
- (33)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

- (34)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (35)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (36)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015" पर विचार हो।
- (37)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015" स्वीकृत हो।

झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015

- (38)- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (39)- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (40)- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015" पर विचार हो।
- (41)- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015" स्वीकृत हो।

झारखण्ड इण्डस्ट्रीज सुविधा एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस विधेयक, 2015

- (42)- उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड इण्डस्ट्रीज सुविधा एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (43)- उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(44)- उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड इण्डस्ट्रीज सुविधा एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस विधेयक, 2015” पर विचार हो।

(45)- उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड इण्डस्ट्रीज सुविधा एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015

(46)- श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(47)- श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(48)- श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015” पर विचार हो।

(49)- श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

(50)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(51)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(52)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015” पर विचार हो।

(53)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

गैर सरकारी संकल्प

(54)- लोकहित के विषयों पर गैर सरकारी संकल्प।
(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

(07)

प्रश्नों के संबंध में विवरण

(55)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

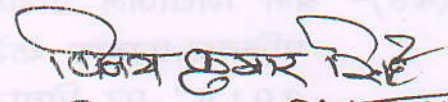
(56)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(57)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

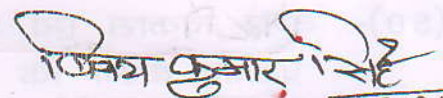
ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०७/२०१५-२५५८/वि०स०, राँची, दिनांक-२७ अगस्त, १५ई०।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिनय कुमार सिंह) २७/८/१५
अपर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

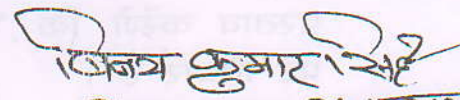
ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०७/२०१५-२५५८/वि०स०, राँची, दिनांक-२७ अगस्त, १५ई०।

प्रतिलिपि:- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

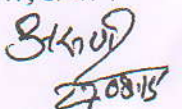

(बिनय कुमार सिंह) २७/८/१५
अपर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०७/२०१५-२५५८/वि०स०, राँची, दिनांक-२७ अगस्त, १५ई०।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिनय कुमार सिंह) २७/८/१५
अपर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

PRAVEEN


२७/०८/१५